प्लास्टिक पर प्रतिबंध: सिंगल-यूज़ स्ट्रॉ पर छूट

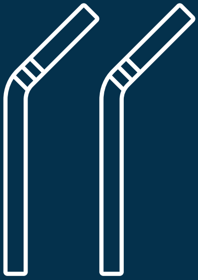

न्यू साऊथ वेल्स ने कुछ सिंगल-यूज़ प्लास्टिक की चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक स्ट्रॉ भी शामिल हैं, जब तक कि उन्हें किसी छूट के हिसाब से उपलब्ध न कराया गया हो। इस प्रतिबंध में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, कम्पोस्टेबल प्लास्टिक (ऑस्ट्रेलियाई सर्टिफ़ाइड कम्पोस्टेबल प्लास्टिक सहित)
या बायोप्लास्टिक से बनी चीज़ें शामिल हैं।

स्ट्रॉ पर छूट कब मिलती है?

आप उन लोगों को सिंगल-यूज़ प्लास्टिक स्ट्रॉ दे सकते हैं जिन्हें किसी विकलांगता या दूसरी मेडिकल ज़रूरत के कारण इनकी आवश्यकता है। आप इन्हें उन लोगों या संस्थाओं को भी दे सकते हैं जो उन लोगों की तरफ़ से काम कर रहे हैं।

खाने-पीने के सामान के आपूर्तिकर्ता

अगर आप इन शर्तों को मानते हैं, तो आप ग्राहकों को सिंगल-यूज़ प्लास्टिक स्ट्रॉ दे सकते हैं:

- आप सिंगल-यूज़ प्लास्टिक स्ट्रॉ तभी दे सकते हैं, जब आपसे माँगी जाए।
- आपको स्ट्रॉ को लोगों की नज़र से दूर और उनकी पहुँच से दूर रखना होगा, जैसे कि काउंटर के पीछे।
- यह ज़रूरी है कि आप स्ट्रॉ के लिए कोई शुल्क न लें। ।

यह भी ध्यान दें:

- माँगे जाने पर आप एक से ज़्यादा स्ट्रॉ दे सकते हैं।
- आपको यह सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को अपने लिए या किसी और के लिए सिंगल-यूज़ प्लास्टिक स्ट्रॉ चाहिए। आपको हमारा परामर्श है कि आप गोपनीयता के कारणों की वजह से ऐसा न पूछें।

छूट की शर्तों को माने बिना सिंगल-यूज़ प्लास्टिक स्ट्रॉ देना गैर-क़ानूनी है और आप पर ज़ुर्माना लग सकता है।

लोगों के लिए ज़ुर्माना $1,100 और कंपनियों के लिए $5,500 से शुरू होता है।

अधिक जानकारी या परामर्श के लिए

एनवायरनमेंट लाइन **131 555**
हमें **info@epa.nsw.gov.au** पर ईमेल करें

और अधिक जानने के लिए स्कैन करें

प्लास्टिक प्रतिबंध निर्देशन

सिंगल-यूज़ स्ट्रॉ छूट

NSW GOVERNMENT